संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं। तथापि, आवेदकों द्वारा अपूर्ण सूचना दिये जाने आदि के कारण कुछ मामलों में देरी हुई है।

(ख) ऊपर (क) पर दिये गये उत्तर को दृष्टिगत रखते हुये सरकार इस संबंध में कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझती है ?

(ग) से (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि राशन कार्ड एक निर्धारित अवधि के भीतर जारी कर दिए जाएं, दिल्ली प्रशासन ने अनुदेश जारी किये हैं कि यदि आवेदक किराये की रसीद, बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन-बिल, गृह-कर की रसीद, गैस कनेक्शन आदि जैसे दस्तावेजी साथ प्रस्तुत करता है तो निवास-स्थान संबंधी तथ्य के पश्चात् स्थायी राशन कार्ड तैयार करके 72 घंटे के भीतर आवेदक के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। अन्य मामलों में, राशन कार्ड जारी करने से पहले मौके पर जांच, जिसमें दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लेना भी शामिल है, की जानी चाहिये। जिन मामलों में राशन कार्ड जारी नहीं करने होते हैं, वहां आवेदक को इसके लिये कारण बताते हुये लिखितरूप में सूचित करना होता है।

नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

2924. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों की राज्यवार संख्या क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि नेत्रहीन शिक्षित व्यक्तियों को आरक्षण के मुताबिक राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकर रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षित नेत्रहीनों को योग्यतानुसार रोजगार मुहैया कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों ने उचित पदों पर नेत्रहीनों के लिए नौकरियों में आरक्षण किया हुआ है और उन्हें नौकरियां प्रदान कर रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खान मालिकों को मुआवजा

2925. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब तक किन-किन कम्पनियों और निजी खान मालिकों को मुआवजे के भुगतान का मामला केन्द्रीय सरकार के पास निलम्बित है ; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम्दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Tenements for Weaker Section of society in Chandigarh

2926. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of tenements constructed for the weaker section of society at Chandigarh during the year 1986;

(b) what is the number of people without a shelter in the Union Territory; and

(c) whether three is any proposal to construct dormitory type of accommodation for migratory labour working there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) During the year 1986, 835 units were constructed by the Union Territory of Chandigarh under the scheme of the Houses for Economically Weaker Sections.

(b) As per the 1981 census, 4047 persons are without shelter in the Union Territory.

(c) No, Sir.

Bhikaji Cama Bazar, New Delhi

2927. SHRI M. KADHARSHA:

SARDAR JAGJIT SINGH: AURORA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government had sometime back acquired land belonging to Sunlight Insurance Company Limited in village Mohammadpur, Munirka, Delhi now knows as Bhikaji Cama Bazar and acquisition notifications issued in this regard were declared null and void by the Courts;

(b) whether all such plot holders have been given alternative plots;

(c) whether there are still some plots of land in the Bhikaji Cama Place Commercial Complex which are owned by individuals if so, the manner in which the Government intend to deal with those plots and the plot-holders;

(d) whether Government proposes to acquire those plots of land situated in Bhikaji Cama Place Commercial Complex which have not yet been acquird under the Land Acquisition Act, if so, by when;

(e) if not, whether Government propose to permit the plot holders to construct buildings on their land as per the master plan;

(f) whether any of these plot holders have filed construction plans with the Ministry on the advice of the DDA and if so, whether the said plans have since been sanctioned by the Ministry; and

(g) if not what are the reasons for delay and by when these plans are likely to be sanctioned by the Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Out of 33 plot holders who applied for alternative plots, 30 have accepted the plots offered to them. Offers of alternative plots to the remaining three plot holders have also been made but the cases are yet to be finalised.

(d) In view of the reply above to Clauses (b) and (c), this question does not arise.

(e) to (g) The plots of land under reference now form part of the District Centre as per the Master Plan and this District Centre is being developed by the DDA. No building plans as per Building Byelaws have been submitted by the plot holders either to the Ministry or to the DDA. Moreover, in view of the position as aforesaid, the question of sanctioning any building plans of plot holders does not arise.